ई-मेल द्वारा

दिनांक 07.09.2018 को आयोजित वीडियो कान्फ्रेसिंग का कार्यवृत्त

दिनांक 07.09.2018 को आयुक्त, ग्राम्य विकास उ0प्र0 की अध्यक्षता में प्रदेश के समस्त मुख्य विकास अधिकारियों एवं परियोजना निदेशकों के साथ वीडियो कान्फ्रेसिंग की गयी। वीडियो कान्फ्रेसिंग में निम्न निर्देश दिये गये–

1. प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण में वर्ष 2018–19 के लक्ष्य के सापेक्ष शत–प्रतिशत लाभार्थियों को प्रथम किस्त की धनराशि एक सप्ताह में अवमुक्त करना सुनिश्चित किया जाए।

2. प्रथम किस्त अवमुक्त करने हेतु एफ0टी0ओ0 निर्गत करने में खराब जनपदों–जौनपुर, आजमगढ़, गाजीपुर, बाँदा, चन्दौली, मऊ, कुशीनगर, संतरविदास नगर, हरदोई एवं बदायूँ को निर्देश दिये गये कि तत्काल लक्ष्य के सापेक्ष शत–प्रतिशत लाभार्थियों को प्रथम किश्त अवमुक्त किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

3. दिनांक 10.08.2018 तक अवमुक्त प्रथम किश्त के सापेक्ष शत–प्रतिशत लाभार्थियों को द्वितीय किश्त की धनराशि एक सप्ताह में अवमुक्त करना सुनिश्चित किया जाए।

4. द्वितीय किस्त अवमुक्त करने हेतु एफ0टी0ओ0 निर्गत करने में खराब जनपदों–सीतापुर, बहराइच, खीरी, प्रतापगढ़, मीरजापुर, गोण्डा, इलाहाबाद, सुलतानपरु, उन्नाव एवं शाहजहाँपुर को निर्देश दिये गये कि तत्काल लक्ष्य के सापेक्ष शत–प्रतिशत लाभार्थियों को द्वितीय किश्त अवमुक्त किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

5. स्थायी प्रतीक्षा सूची से अपात्रों का नाम हटाने के लिए रिमांड माड्यूल की कार्यवाही को एक सप्ताह के भीतर शत–प्रतिशत पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाए। बांदा, सीतापुर, खीरी, आजमगढ़, सुलतानपुर एवं रायबरेली की स्थिति संतोषजनक नहीं है।

6. सेक सूची–2011 में जिन पात्र लाभार्थियों का नाम छूट गया है, ऐसे पात्र लाभार्थियों का विवरण आवास प्लस ऐप के माध्यम से माह के अन्त तक शत–प्रतिशत अपलोड कराने के निर्देश दिये गये। आवास प्लस ऐप में शून्य रजिस्ट्रेशन वाले जनपद–एटा, हरदोई, झांसी, बुलन्दशहर, शाहजहाँपुर, औरैया, बदायूँ, देवरिया, गौतमबुद्धनगर, जौनपुर एवं सम्भल हैं।

7. विगत वर्षों के अधूरे प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण, इन्दिरा आवास एवं लोहिया आवासों को जल्द से जल्द पूर्ण कराने हेतु निर्देश दिये गये।

समस्त मुख्य विकास अधिकारियों/परियोजना निदेशकों को निर्देश दिया गया कि यदि उक्त के सम्बन्ध में निर्धारित समय–सीमा के अन्दर कार्यवाही नहीं की जाती है तो इसके लिए सम्बन्धित अधिकारियों का उत्तर दायित्व निर्धारित किया जाएगा।

(नागेन्द्र प्रसाद सिंह)
आयुक्त,
ग्राम्य विकास,उ0प्र0।

पत्रा0 39-A

पत्रांक: 1229 /बैठक/वी0सी0/2018, दिनांक 13 सितम्बर, 2018।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1–प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास ,उ0प्र0 शासन।
2–समस्त जिला अधिकारी/जिला कार्यक्रम समन्वयक, उ0प्र0।
3–समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
4–समस्त संयुक्त विकास आयुक्त, उ0प्र0।
5–समस्त संयुक्त आयुक्त (मुख्यालय)।
6–समस्त परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, उ0प्र0।
7–समस्त उपायुक्त/योजनाधिकारी, उ0प्र0।
8–तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 लखनऊ को उक्त कार्यवृत्त वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(आर0एम0 सिंह)
उपायुक्त,
ग्राम्य विकास,उ0प्र0।